अतः इस परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व नियमानुसार लोक सुनवाई की प्रक्रिया की जा रही है। उक्त अधिसूचना के अनुसार स्थानीय/राष्ट्रीय समाचार पत्रों में लोक सुनवाई हेतु दिनांक 15.08.2018 को दैनिक जागरण एवं दि हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रस्तावित उद्योग मै0 टिकौला शुगर मिल्स लि0, ग्राम टिकौला, पो0आ0 रामराज, जिला मुजफ्फरनगर के परिसर में मध्यान्ह 12:00 बजे लिखित रूप में अथवा स्वयं उपस्थित होकर आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराई गयी थी। समाचार पत्रों के कटिंग की छायाप्रतियां संलग्न हैं। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई दिनांक 22.09.2018 से पूर्व कोई लिखित आपत्ति क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर में प्राप्त नहीं हुई है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा परियोजना का विस्तृत विवरण तथा पर्यावरणीय संरक्षण सम्बन्धी जानकारी देने हेतु परियोजना प्रस्तावकों से कहा गया। परियोजना के परामर्शी द्वारा विस्तृत रूप से परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि मैसर्स टिकौला शुगर मिल्स लि0 वर्तमान में 5000 टी.सी.डी. गन्ना पेराई क्षमता एवं 20 मेगावाट कोजन संयंत्र का संचालन कर रहा है, जिसको विस्तारीकरण कर गन्ना पेराई क्षमता 12000 टी.सी.डी. एवं अतिरिक्त 10 मेगावाट कोजन प्लांट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है, जो मौजूदा परिसर के भीतर ही किया जायेगा। उक्त परियोजना की लागत लगभग 100 करोड़ रूपये है।

जल प्रदूषण :

उद्योग द्वारा वर्तमान में 835 घन मी0/दिन जल का उपयोग किया जा रहा है, विस्तारीकरण के पश्चात् कुल जल खपत 2000 घन मी0/दिन होगी। भूजल दोहन हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के लिए आवेदन किया गया है। वर्तमान में 700 घन मी0/दिन औद्योगिक उत्प्रवाह जनित होता है, विस्तारीकरण के उपरान्त कुल 1680 घन मी0/दिन उत्प्रवाह जनित होगा, जिसके शुद्धिकरण हेतु 2160 घन मी0/दिन क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र

स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शुद्धिकृत उत्प्रवाह को स्वयं की भूमि पर सिंचाई में खपत की जायेगी तथा शेष उत्प्रवाह को आसपास के कृषकों को सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त उद्योग शून्य उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्था पर आधारित होगा।

वायु प्रदूषण :

उद्योग में विस्तारीकरण के उपरान्त वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत 60 टीपीएच क्षमता के ब्वॉयलर में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था प्रंस्तावित की गयी है। 60 टी.पी.एच. के ब्वॉयलर पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में वैट स्क्रबर तथा भूतल से 50 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित की जायेगी, जो समग्र पार्टिकुलेट उत्सर्जन तथा गैसीय उत्सर्जन में समस्त प्रदूषणकारी तत्वों को मानकों के अनुरूप शुद्धिकरण कर सकेगा।

ध्वनि प्रदूषण :

ध्वनि प्रदूषण हेतु उद्योग द्वारा विभिन्न उपाय प्रस्तावित किये गये हैं जिससे परिवेशीय वायुगुणता में ध्वनि मानकों के सापेक्ष पूर्ति कराई जा सके।

ग्रीन बेल्ट का प्राविधान :

उद्योग द्वारा नियमानुसार 33 प्रतिशत भूमि पर ग्रीन बेल्ट का प्राविधान प्रस्तावित है।

पर्यावरणीय परामर्शी के प्रेजेन्टेशन के पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा कहा गया कि उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की क्षमता में वृद्धि किये जाने का उल्लेख है। उद्योग शून्य उत्प्रवाह निस्तारण पद्धति पर संचालित किया जाना प्रस्तावित है। शुद्धिकृत उत्प्रवाह कृषकों को सिंचाई हेतु दिये जाने का भी प्रस्ताव है। वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में वैट स्क्रबर स्थापित किया जाना प्राविधानित है, जिससे परिवेशीय वायुगुणता पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। डस्ट आदि पर नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलिंग का प्राविधान प्रोजेक्ट में किया गया है।

लोकसुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों को उक्त परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति/सुझाव हैं, अध्यक्ष महोदय के सम्मुख रखना चाहें, का आह्वान क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया गया। उपस्थित जनसमूह में से किसी व्यक्ति द्वारा कोई लिखित अथवा मौखिक आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

लोक सुनवाई के समय श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी कुतुबपुर, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा कहा किया गया कि वे गन्ने के सप्लायर हैं तथा उन्हें प्रसन्नता है कि इस शुगर मिल में विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिससे उनके क्षेत्र का पूरा गन्ना मिल में सप्लाई होगा तथा कोल्हुओं पर गन्ना नहीं डालना पड़ेगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विस्तारीकरण 15000 टी.सी.डी. किया जाना चाहिये।

इसी प्रकार श्री शिवकुमार निवासी कुतुबपुर, श्री अमित कुमार निवासी कासमपुर खोला, श्री संतलाल सिंह निवासी कासमपुर खोला, श्री हरबीर सिंह निवासी रूमालपुरी, श्री कुलदीप निवासी कासमपुर खोला, श्री बालेन्द्र सिंह निवासी बटावली इसापुर, श्री महेन्द्र सिंह निवासी हसनपुर मेरठ, श्री विरेन्द्र सिंह निवासी बटावली, श्री विवेकानन्द निवासी रूमालपुरी, श्री मोहित निवासी बहसुमा, श्री दिलीप तोमर निवासी हासमपुर जानसठ, श्री हाकम सिंह पूर्व प्रधान पुट्ठी इब्राहिमपुर द्वारा उक्त विस्तारीकरण से क्षेत्र के किसानों का उद्धार होने तथा किसी प्रकार के पर्यावरणीय नुकसान न होने, तथा उक्त शुगर मिल के विस्तारीकरण से क्षेत्र के लोगों का विकास होने की बात कही।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्तावकों से प्रस्तावित परियोजना में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की स्थापना मानकों के अनुरूप किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उपस्थित जनसमूह द्वारा एकमत होकर ध्वनि मत से उक्त विस्तारीकरण हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

लोक सुनवाई के अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), मुजफ्फरनगर द्वारा उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि उक्त उद्योग द्वारा क्षमतावृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है तथा उपस्थित क्षेत्रवासियों द्वारा इसका स्वागत किया गया है। यह विस्तारीकरण क्षेत्र के किसानों के हित में है।

अन्त में सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त किये जाने की घोषणा की गयी।

संलग्नक–लोक सुनवाई की सी0डी0 एवं उपस्थिति

22.9.18

(विवेक राय)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मुजफ्फरनगर।

22.9.18

(सियाराम मौर्य)
अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)
मुजफ्फरनगर।

<u>दिनांक 22.09.2018 को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में, मै0 टिकौला शुगर मिल्स लि0, ग्राम टिकौला, पो0आ0 रामराज, जिला मुजफ्फरनगर के द्वारा 5000 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 12000 टी.सी.डी. गन्ने के पिराई कर चीनी उत्पादन तथा 10 मेगावाट को–जनरेशन पावर प्लांट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय क्लियरेंस हेतु लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।</u>

दिनांक 22.09.2018 को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में, मै0 टिकौला शुगर मिल्स लि0, ग्राम टिकौला, पो0आ0 रामराज, जिला मुजफ्फरनगर के द्वारा 5000 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 12000 टी.सी.डी. गन्ने के पिराई कर चीनी उत्पादन तथा 10 मेगावाट को–जनरेशन पावर प्लांट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय क्लियरेंस हेतु लोक सुनवाई आयोजित की गई। कार्यवृत्त निम्नवत् है :–

लोक सुनवाई में निम्नलिखित अधिकारी/जनसमूह उपस्थित हुए :–

1– श्री सियाराम मौर्य, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), मुजफ्फरनगर

2– श्री विवेक राय, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

3– श्री विपुल कुमार, अवर अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

4– श्री आर0 कौटियाल, पर्यावरणीय सलाहकार एवं तकनीकी विशेषज्ञ, सॉवेन कन्सल्टेन्सी सर्विसेज प्रा0लि0, लखनऊ।

5– श्री एम0सी0 शर्मा, एक्जीक्यूटिव हेड, टिकौला शुगर मिल्स लि0, मुजफ्फरनगर

6– लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमूह की उपस्थित संलग्न है।

सर्वप्रथम श्री विवेक राय, क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त परियोजना भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत आच्छादित है,